05.08.2022	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी के संबध प्रस्तुत कर विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट अपनी खरीदसुदा, खातेदारी, कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग की भूमि खेत खसरा संख्या 112/1 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा में से रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा 10 बिस्वांशी वाके ग्राम निम्बली ब्रह्मणान्, तहसील रोहट से वंचित हो रहे है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेश की आड में अपीलांट की खरीदशुदा व कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी, प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा पेश स्थगन प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 में जो दादरसी चाही गई है उसके अनुसार अपीलाण्ट को उसकी खरीदसुदा, खातेदारी, कब्जा–काश्त व उपयोग –उपभोग की भूमि खेत खसरा संख्या 390/418 रकबा 38 बीघा बिस्वा वाके ग्राम दुर्जनी, पटवार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हल्का देदासरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र टूपू उर्फ जोधारी, तहसील बाप, जिला जोधपुर से जोर–जबरदस्ती बेदखल नहीं करे। जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश 14.03.2022 में इस स्टेज पर हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर रोहट को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2022 बउनवान अक्षय मोहनोत बनाम देवेन्द्र जैन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली